भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं0 *77**

07 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

आदर्श किरायेदारी प्रारूप विधेयक

***77. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आदर्श किरायेदारी प्रारूप विधेयक राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने राज्यों ने आदर्श किरायेदारी के संबंध में आज की तारीख तक कानून अधिनियमित किया है/अधिनियमित नहीं किया है; और

(घ) राज्य इस संबंध में कब तक कानून बनाएंगे और आज की तारीख के अनुसार उनकी कार्य-योजना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

'आदर्श किरायेदारी प्रारूप विधेयक' के संबंध में दिनांक 07.12.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 77* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): जी हाँ। मकान मालिक और किरायेदार के बीच संबंध एक राज्य विषय है। तथापि, देश में किराये के आवास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनके किरायेदारी कानूनों में सुधार करने में सहायता करने की दृष्टि से, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने एक मॉडल किरायेदारी अधिनियम (एमटीए) तैयार किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एमटीए की मंजूरी के बाद, इसे 7 जून, 2021 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया था, ताकि इसे या तो नया कानून बनाकर या मौजूदा किराये कानूनों में उचित संशोधन करके अपनाया जा सके।

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम राज्यों ने अपने संशोधित किरायेदारी कानूनों को अधिसूचित कर दिया है।

****